न्यायालय राजस्व मण्डल म॰ प्र॰ ग्वालियर

प्र॰ क्र॰ / R · 3618 - III/14

श्रीमती मुन्नी गुप्ता पत्नी श्री बाबूलाल गुप्ता
उम्र 46 वर्ष , धंधा खेती , निवासी
ग्राम सुकवारी थाना सीधी तह॰ गोपदबनास
जिला सीधी म॰प्र॰ --- आवेदक

विरूद्ध

भूअर्जन अधिकारी कलेक्टर सीधी जिला
सीधी म॰ प्र॰ ---- अनावेदकगण।

आज 30·10·14 को
श्री ग्रामसेवक शर्मा, अभि॰
द्वारा प्रस्तुत।
30·10·14
SO

(ग्रामसेवक शर्मा) अधिवक्ता
30·10·14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 3618–तीन/2014 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर अभिभाषव के हस
14–11–2014	आवेदिका की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक श्री एच0के0 अग्रवाल उपस्थित। दोनों पक्षों के अभिभाषकों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदिका द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास जिला सीधी के पत्र कमांक 647/एस डी ओ/2013 दिनांक 14–4–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50(1) के अन्तर्गत पेश की गई है। 3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क किया कि अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास जिला सीधी न उनके पत्र कमांक 647/एस डी ओ/2013 दिनांक 14–4–2013 के द्वारा कतिपय भूमियों का वर्ष 1963 में भूअर्जन करने के आधार पर राजस्व अभिलेख में पुलिस अधीक्षक फायरिंग रेंज करने का आदेश दिया। आवेदिका के अभिभाषक द्वारा ग्राम नौढिया की सर्वे कमांक 819 रकवा 0.344 हेक्टर भूमि के वर्ष 2012–13 एवं 2014–15 की खसरों की प्रति पेश कर तर्क किया है कि वर्ष 2012–13 के खसरों में राजस्व रिकार्ड में आवेदिका का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज था, परन्तु वर्ष 2014–15 के खसरों में आवेदिका के स्थान पर बिना आवेदिका को सुने अनुविभागीय अधिकारी के पत्र के आधार पर म0प्र0 शासन पुलिस फायरिंग रेंज सीधी भूमिस्वामी के रूप में	

दर्ज कर दिया गया है। उनके द्वारा निगरानी ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के पत्र के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी पेश की गई है, जो कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 56 के अन्तर्गत आदेश की परिधि में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के उक्त विचाराधीन पत्र द्वारा तहसीलदार गोपदबनास को लिखा गया कि अनुविभागीय अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 04/अ–82/62–63 दिनांक 5–12–64 से पुलिस अधीक्षक सीधी को चांदमारी हेतु भूमियां अर्जित की गई थी, जिसका प्रतिकर का भुगतान भी संबंधित भूमिस्वामीयों को किया गया है, परन्तु पत्र में अंकित भूमियों का राजस्व अभिलेख में सुधार नहीं किया है, अतः उक्त भूमियों का संलग्न अवार्ड अनुसार भूमिस्वामियों के बजाय पुलिस अधीक्षक सीधी फायरिंग रेंज के नाम राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किया जाए। इस पत्र में कतिपय सर्वे नम्बरों का उल्लेख है परन्तु आवेदिका की भूमि सर्वे कमांक 819 का हवाला नहीं दिया, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदिका किस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के पत्र से व्यथित है एवं उसके विरूद्ध निगरानी क्यों दायर की है।

5/ प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण में संलग्न वर्ष 2014–15 के खसरे के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरे के कालम 12 में रा.प्र.

क. 31/अ–74/2012–13 आदेश दिनांक 10–1–13 के द्वारा म0प्र0 शासन पुलिस फायरिंग रेंज करने का आदेश होने का लेख है। इससे स्पष्ट है कि आवेदिका की भूमि तहसीलदार के उक्त प्रकरण में दिए गए आदेश के द्वारा ही म0प्र0 शासन पुलिस फायरिंग रेंज दर्ज की गई, परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी आवेदन में इस प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जहां तक आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रश्नाधीन पत्र के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी के पत्र में आवेदिका की भूमि सर्वे कमांक 819 का उल्लेख नहीं है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी विधि के प्रवधानों के विपरीत एवं आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य